न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/000126

भंवर लाल आत्मज कालू जाति मीणा निवासी ग्राम सिंहपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामचन्द्र
2. मोहन (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 2/1. मुकट पुत्र
   - 2/2. अशोक पुत्र
   - 2/3. रवि पुत्र
   - 2/4. कैलाश बाई पुत्री
   - 2/5. गीता बाई पुत्री
   - 2/6. ललता बाई पुत्री
   - 2/7. कुन्ता बाई पुत्री
   - 2/8. रामचन्द्री बाई पत्नी
3. अमर लाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 3/1. बजरंग लाल
   - 3/2. कालू लाल
   - 3/3. धनराज
   - 3/4. मनोहर बाई
   - 3/5. कलावती बाई
   - 3/6. शान्ति बाई
4. राजस्थान राज्य ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सिंहपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 1.05 हैक्टर, 116/367 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 271 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 279 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.59 हैक्टर कुल 06 किता की 2.12 हैक्टर भूमि स्थित है । वादी एवं वादी के पिता कालू के नाम हाल सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 92 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा (कालू के नाम) खसरा नम्बर 93 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा (वादी के नाम) दर्ज था जो कालू जी के स्वर्गवास के बाद वादी एक मात्र वारिस उत्तराधिकारी होने से वादी के नाम दर्ज की गई तथा वादी मौके पर पूर्व की भांति आज भी काबिज काश्त है । वादी पुराने खसरा नम्बर 92, 93 पर जहॉ पूर्व में काश्त करता था आज भी उसी भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है । खसरा नम्बर 116/367 पर कुआ स्थित है जिससे वादी सिंचाई नियमित रूप से करता चला आ रहा है जिसे वादी की खातेदारी में दर्ज किया गया । पुराने खसरा नम्बर 92 का रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा था जिसे सेटलमेंट द्वारा केवल मात्र नवीन खसरा नम्बर 259 रकबा 0.55 हैक्टर की कायम किया जबकि 04 बीघा 18 बिस्वा को हैक्टर में बदलने पर 0.82 हैक्टर होते हैं । इस प्रकार वादी की भूमि को त्रुटिपूर्ण रूप से 0.27 हैक्टर कम दर्ज किया गया है । वादी के पास प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 की कभी कोई भूमि नहीं रही है किन्तु सेटलमेंट विभाग ने त्रुटिपूर्ण रूप से रिकॉर्ड तैयार कर पुराना खसरा नम्बर 101 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 102 रकबा 0.88 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 के नाम दर्ज की जो 0.30 हैक्टर अधिक है । सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी को नुकसान पहुंचाने एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 3 को लाभ पहुंचाने के ध्येय से खसरा नम्बर 116 को त्रुटिपूर्ण रूप से नक्शा ट्रेस में दर्शा दिया जबकि खसरा नम्बर 116/367 के कुए से वादी हमेशा ही सिंचाई करता रहा है जिसे तो वादी के खातेदारी में दर्शाया और खसरा नम्बर 116 को प्रतिवादी क्रम 1 से 3 के नाम दर्ज कर नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 116/367 के पास दर्शा दिया । खसरा नम्बर 116 से प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है । उक्त त्रुटिपूर्ण नक्शा ट्रेस के आधार पर प्रतिवादीगण वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकियॉ देते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 के विरूद्धइस आशय की डिक्री पारित की जावे कि पुराने खसरा नम्बर 92, 93 से बने नवीन खसरा नम्बर 100, 117, 289 का नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जावे तथा खसरा नम्बर 116 रकबा 0.25 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादी का रकबा पूर्ण किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 3 के खाते में से खसरा नम्बर 116 को विलोपित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.06.2016 के द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार को पैमाईश कर वादग्रस्त आराजी सम्बन्धित पक्षकार को सौंपने के आदेश पारित किये ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के

द्वारा लोक अदालत कैम्प में अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट के उपस्थित होने के बावजूद भी केवल मात्र पैमाईश किये जाने का आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को वाद पूर्णरूप से डिक्री करना चाहिए । वादी ने उक्त वाद में नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने की प्रार्थना की थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी को पैमाईश करने के आदेश पारित किये जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.06.2016 को प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में वाद डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान किया जिसकी प्राप्ति पर प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा के यहॉ पर कार्यवाही हेतु गया जहॉ पर प्रार्थी की भूमि की पैमाईश कर दी गई किन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करने का कारण पूछने पर इस संदर्भ में आदेश नहीं होने के बारे में कहा जिस पर तहसीलदार साहब द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को नाम दर्ज किये जाने का भी आदेश प्रदान करने को पत्र लिखा उक्त पत्र पर प्रार्थी पीठासीन अधिकारी से मिलने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की सलाह देने से दिनांक 15.02.2018 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 23.02.2018 को उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा का दावा पेश किया था जिसमें गुणावगुण का अवलोकन किये बिना ही पैमाईश के आदेश पारित किये गये हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालतम में दिनांक 08.06.2016 को अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार वादी द्वारा प्रतिवादी कम 1 उपस्थित हुए हैं, शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन निर्णय

पारित करते हुए तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये गये हैं कि विवादित आराजी की दोनों पक्षों के सामने पैमाईश कर तद्नुसार विवादित आराजी को पक्षकारों को सुपुर्द की जावे । अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय त्रुटिपूर्ण है क्योंकि हक घोषणा के दावे में परीक्षण न्यायालय अपने अधिकार पैमाईश के आधार पर तहसीलदार को अन्तरित नहीं कर सकते हैं । परीक्षण न्यायालय को चाहिए कि तहसीलदार से पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त कर उसका परीक्षण कर उभयपक्षकारान को पैमाईश रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुए उचित आदेश पारित करें । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 16.082021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा